"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2018 — आषाढ़ 15, शक 1940

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2018

आदेश

क्रमांक 1878/एफ 1-7/13/1/चयन समिति/ऊ. वि./2007. — विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, 2003) की धारा-85 की उपधारा-1 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्‌द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन करती है :-

क्र. (1)	नाम एवं पदनाम (2)	अध्यक्ष/सदस्य (3)
1.	श्री सुभाष चन्द्र व्यास माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)	चयन समिति के अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	चयन समिति के सदस्य
3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	चयन समिति के सदस्य

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.